

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- बल्लूवास

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
29/18

रजू दिनांक
06.02.2018

निर्णय दिनांक
14.06.2018

अनुवांन

1. पूर्णचन्द्र पुत्र मूलिया जाति अहीर निवासी गोलाहेडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

:-वादी

बनाम

1. जयवीर पुत्र तेजाराम।
2. राजवीर पुत्र तेजाराम जातियान अहीरान निवासीयान गोलाहेडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

:-प्रतिवादीगण
दावा-हु0ई0 दवामी

-:पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 14.06.2018

उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 14.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


आराजी ख0न0 333/0.30 वाके ग्राम गोलाहेडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में से वादी के हिस्से आराजी की हद तक वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को सदैव-सदैव के लिए हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के उक्तानुसार हिस्से व कब्जे में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे.


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

ना ही वादीगण के कुल कार्य काश्तकारी में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करें।
पाबंद रहें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 14.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद
हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


14.06.18
उपखण्डाधिकारी
(महेश चन्द्र माने)
मुण्डावर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)